

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना  
दिशा-निर्देश

Guidelines  
on  
Member of Parliament  
Local Area Development Scheme



भारत सरकार  
Government of India

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग  
Department of Statistics & Programme Implementation

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय  
Ministry of Planning & Programme Implementation

सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली  
Sardar Patel Bhawan, New Delhi





महाराष्ट्र में थाणे जिले के अंतर्गत माहिम गाँव में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र।  
Industrial Training centre at Mahim, A village in Thane district, Maharashtra.



ओशीवाड़ा मुम्बई में नगरपालिका इसाई कब्रिस्तान का सुरक्षा एवं प्रशिक्षण कक्ष।  
Security and waiting room at municipal Christian Cemetery at Oshiwara, Mumbai



सितम्बर, 1999  
September, 1999

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना  
दिशा-निर्देश

Guidelines  
on  
Member of Parliament  
Local Area Development Scheme

सत्यमेव जयते

भारत सरकार  
Government of India

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग  
Department of Statistics & Programme Implementation

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय  
Ministry of Planning & Programme Implementation

सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली  
Sardar Patel Bhawan, New Delhi

### प्राक्कथन


संसद सदस्यों से उनके निर्वाचन क्षेत्रों में पूंजीगत प्रकृति के छोटे-छोटे कार्य करवाने हेतु उनके निर्वाचन क्षेत्र के निवासियों द्वारा प्रायः अनुरोध किया जाता है। इसलिये संसद सदस्यों द्वारा यह मांग की गई कि उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्माण कार्य संस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इन सुझावों पर विचार करते हुए संसद में दिनांक 23 दिसम्बर, 1993 को “सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना” की घोषणा की गई।

2. इस योजना के अंतर्गत, प्रत्येक सांसद, स्थानीय लोगों द्वारा अनुभव की जा रही आवश्यकताओं के आधार पर विकासात्मक कार्यों का सुझाव संबंधित जिला कलेक्टर को दे सकता है। प्रारंभिक वर्षों में प्रत्येक सांसद एक करोड़ रु. तक के कार्यों का सुझाव दे सकता था। योजना की उपयोगिता को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 23 दिसम्बर, 1998 को यह घोषणा की कि वित्त वर्ष 1998-99 से यह राशि एक करोड़ रु. से बढ़ाकर 2 करोड़ रु. की जा रही है।

3. इस योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्य शुरू किए गए हैं, जो आम जनता के हित में सहयोगी सिद्ध हुए हैं। कुछ बहुत अच्छे कार्य, जैसे विद्यालय भवनों, सार्वजनिक भवनों, पुस्तकालय भवनों, सड़कों, अस्पताल भवनों का निर्माण, पेयजल सुविधाओं, सरकारी अस्पतालों तथा ख्याति प्राप्त संगठनों के लिए एम्बुलेंसों का प्रावधान, सरकारी एवं सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों में कंप्यूटरों का अधिष्ठापन इत्यादि, योजना के अंतर्गत आम जनता के हित के लिए किए गए हैं।

4. सांसदों के सुझाव पर दिशा निर्देशों में समय-समय पर संशोधन किए गए । 13 वीं लोकसभा के गठन के पूर्व, वर्तमान संस्करण को स्वयं में पूर्ण तथा अद्यतन बनाने के लिए इन सभी संशोधनों को शामिल किया गया है । मुझे आशा है कि यह संस्करण नव गठित 13 वीं लोकसभा के सदस्यों के लिए उपयोगी होगा ।

नई दिल्ली  
28 सितम्बर, 1999

  
 (राम नाईक)  
 राज्यमंत्री  
 योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन,  
 रेल्वे (स्वतंत्र प्रभार) तथा गृह मंत्रालय

## PREFACE

Members of Parliament are approached by their constituents, quite often, for small works of capital nature to be done in their constituencies. Hence there was a demand made by the MPs that they should be allowed to recommend works in their constituencies. Considering these suggestions, the Member of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) was announced in the Parliament on 23rd December, 1993.

2. Under the scheme, each MP has a choice to suggest to the concerned District Collector, developmental works based on locally felt-needs. In the initial years, each MP could suggest works to the tune of Rs. 1 crore per year. Realising the usefulness of the scheme, Hon'ble Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee announced on 23rd December, 1998 that this amount was being raised from Rs. 1 crore to Rs. 2 crore from the financial year 1998-1999.

3. A variety of works have been taken up under the scheme which has contributed to the well being of the general public. Some very good works like construction of school buildings, community halls, library buildings, roads, hospital buildings, drinking water facilities, ambulances for Government hospitals and reputed service organisations, installation of computers in Government and Government aided schools have been taken up under the scheme for the benefit of the common people.

4. On the suggestions of MPs, amendments to the guidelines were carried out from time to time. On the eve of constitution of 13th Lok Sabha, all these amendments have been incorporated to make the present edition self-contained and up-to-date. I do hope that this edition will be useful to the Members of the newly elected 13th Lok Sabha.



(Ram Naik)

Minister of State

Planning & Programme Implementation,  
Railways (Independent Charge) and  
Home Affairs

New Delhi

28<sup>th</sup> September, 1999

**संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना § सांस्था-क्षेत्र-वि-यो-§**  
**योजना की अवधारणा, कार्यान्वयन और प्रबोधन व्यवस्था के संबंध में**  
**दिशा निर्देश**

**योजना**

1-1 प्रधानमंत्री ने 23 दिसंबर, 1993 को संसद में " संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना §सां. स्था. क्षे. वि. यो. §" की घोषणा की। तदोपरान्त 1994 में इस योजना की अवधारणा, कार्यान्वयन और प्रबोधन व्यवस्था के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए। सांस्थिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इन दिशा निर्देशों का अनुसरण करते हुए योजना के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों के बारे में समय-समय पर परिपत्र जारी करता रहा है। कई संसदों ने अपने क्षेत्रीय अनुभवों के आधार पर इस योजना के कार्यान्वयन के संबंध में कई शिकायतें उठाई हैं तथा अनेक समस्याएँ सामने रखी हैं। इस दरम्यान 10 वीं लोकसभा से 11 वीं लोकसभा के संक्रमण के कारण निधियों के मुद्देया करार जाने के तरीकों और दसवीं लोकसभा के कार्यकाल के दौरान शुरू किए गए/अनुमोदित किए गए/परिष्कृत कार्यों के कार्यान्वयन के संबंध में कई मुद्दे उठाए गए थे। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद और विभिन्न विचारों और सुझावों को ध्यान में रखकर फरवरी, 1997 में संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके बाद समय-समय पर इन दिशा निर्देशों के कुछ प्रावधानों का संशोधन भी किया गया है। यह दिशा निर्देश इन संशोधनों को समाविष्ट करते हुए तथा पूर्व निर्देशों का अधिक्रमण करते हुए जारी किए जा रहे हैं।

1-2 इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक संसद सदस्य जिलाधिकारी को अपने निर्वाचन-क्षेत्र में प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपए तक की लागत वाले निर्माण कार्यों को करवाए जाने का सुझाव दे सकता है। राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य जो कि संपूर्ण राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस राज्य से वे चुनकर आए/आई हैं, उस राज्य के एक या अधिक जिलों का चयन इस योजना के अंतर्गत अपनी पसंद के निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन हेतु कर सकते/सकती हैं। लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य अपनी पसंद के निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन हेतु एक या अधिक जिलों का चयन कर सकते/सकती हैं। किन्तु चुने गए जिले किसी एक ही राज्य के होने चाहिए। वर्ष 1998-99 से प्रति संसद प्रति वर्ष आवंटन बढ़कर 2 करोड़ रु. हो गया है।

**योजना की मुख्य विशेषताएँ**

2-1 प्रत्येक संसद सदस्य संबंधित जिलाधिकारी को अपनी पसंद के निर्माण कार्यों का ब्योरा देंगे जो स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें कार्यान्वित कराएंगे यानि जिलाधिकारी दिशा निर्देशों के अधीन रहकर राज्य सरकार की स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन करेंगे। जहाँ तक शहरी क्षेत्रों का संबंध है, निर्माण कार्यों का कार्यान्वयन संसदों की पसंद के अनुसार निगमों, नगरपालिकाओं आदि के आयुक्तों/मुख्य कार्यपालक अधिकारियों या सम्बद्ध जिलाधिकारी के माध्यम से करवाया जा सकता है। कार्यान्वयन

## **MEMBER OF PARLIAMENT LOCAL AREA DEVELOPMENT SCHEME (MPLADS)**

### **GUIDELINES ON SCHEME CONCEPT, IMPLEMENTATION AND MONITORING.**

#### **THE SCHEME**

- 1.1 The Prime Minister on the 23<sup>rd</sup> of December, 1993 announced the "Member of Parliament Local Area Development Scheme" (MPALDS) in the Parliament. Detailed guidelines on the scheme concept, implementation and monitoring of MPLADS were issued subsequently in 1994. Pursuant to these guidelines, the Department of Statistics and Programme Implementation, Ministry of Planning & Programme Implementation has been issuing circulars, from time to time, on matters relating to operational details. Several Members of Parliament, based on their field experience, have raised a number of doubts and pointed out several difficulties as regards the implementation of the scheme. In the meantime, on account of transition from the Tenth to the Eleventh Lok Sabha, several issues were raised in regard to the modalities of funding and implementing works started/approved/ envisaged during the term of the Tenth Lok Sabha. After detailed discussions and taking into account the various view points and suggestions, the revised guidelines were issued in February, 1997. Thereafter amendments to some of the provisions of these guidelines have also been issued from time to time. These guidelines are issued after incorporating such amendments and in supersession of the earlier ones.
- 1.2 Under this scheme, each MP will have the choice to suggest to the Head of the District works to the tune of Rs.1 crore per year, to be taken up in his/her constituency. Elected Members of Rajya Sabha representing the whole of the State as they do, may select works for implementation in one or more district(s) as they may choose. Nominated Members of the Lok Sabha and Rajya Sabha may also select works for implementation in one or more district(s), but within one state of their choice. The allocation per MP per year stands increased to Rs.2 crores from the year 1998-1999.

#### **FEATURES OF THE SCHEME**

- 2.1 Each MP will give a choice of works to the concerned Head of the district who will get them implemented by following the established procedures, that is, he may be guided by the procedure laid down by the State Government subject to these Guidelines. In regard to works in urban areas their implementation can be done through Commissioners/Chief Executive Officers of Corporations, Municipalities, etc., or through the Heads of District concerned as per the option of the MPs. Implementation agencies can be either Government or Panchayati

अभिकरणों में सरकारी या पंचायती राज संस्थाएँ अथवा कोई अन्य प्रसिद गैर-सरकारी संस्थाएँ आ सकती हैं, जिन्हें जिलाधिकारी निर्माण कार्यों के संतोषजनक कार्यान्वयन करवाने में सक्षम समझते हों। इन कार्यों में निजी ठेकेदारों को लगाना वॉर्जेंट है, जहाँ पर भी विद्यमान दिशा निर्देशों में इसके लिए अनुमति नहीं है। लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों के निष्पादन के लिए उन प्रभागों को लगाया जा सकता है जो प्रभाग आवश्यक रूप से मात्र निर्माण कार्य ही नहीं देखते किंतु जो निर्माण कार्यों के लिए सक्षम हैं, उदाहरण के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियंत्रण, ग्रामीण आवास विभाग/स्कंध, आवास बोर्ड, विद्युत बोर्ड, शहरी विकास प्राधिकरण आदि। जिलाधिकारी उस अभिकरण को अभिज्ञापित करेंगे जिसके माध्यम से संसद सदस्य द्वारा अनुशंसित कोई खास कार्य निष्पादित किया जाना है।

- 2.2 इस योजना के अधीन निर्माण कार्य स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित विकासात्मक प्रकृति के होंगे। टिकाऊ परिसंपत्तियों के सृजन पर जोर है। इस योजना के अंतर्गत प्रदान की गई निधियों का उपयोग राजस्व व्यय के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इन निधियों का उपयोग सेवा संबंधी अनुपूरक सुविधाओं की व्यवस्था जैसे प्रयोजनों के लिए भी किया जा सकता है। फिर भी इनमें उपर्युक्त सुविधाओं के रखा-रखाव के लिए कर्मचारी रखने जैसा कोई आवर्ती व्यय शामिल नहीं किया जाएगा।
- 2.3 यह भी उचित होगा कि इस योजना से संबंधित निधियों का उपयोग किसी बड़े कार्य की लागत को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए किया जाए, उदाहरण के लिए तटबंध और उसमें जल निकास करने संबंधी किसी छोटे कार्य §माइक्रो-हाइडेल वर्क§ की लागत आंशिक रूप से पूरा करना। ऐसा केवल उसी हालत में किया जाए जब उससे निर्माण कार्य पूरा हो सकता हो। इस पैरा के अधीन जहाँ किसी परियोजना का अंशतः खर्च इस योजना की निधि से पूरा किया गया हो, परियोजना का वह भाग सुस्पष्ट रूप से पहचान के योग्य हो।
- 2.4 कभी-कभी कार्यों की प्रकृति के अनुसार उनके निष्पादन में एक वर्ष से ज्यादा समय लग सकता है। इन परिसंपत्तियों में इस योजना के अंतर्गत निष्पादन अभिकरणों को कार्य के निष्पादन के विभिन्न चरणों को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखते हुए निधि आग्रिम रूप से अथवा एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए उपलब्ध कराई जा सकती है।
- 2.5 सांसद द्वारा चुने गए कार्य के स्थल को सांसद की सहमति के बिना बदला नहीं जा सकता है।
- 2.6 इस बात पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए कि चुने गए निर्माण कार्य के लिए अनिवार्यतः सरकारी भूमि ही हो। यह नगरपालिका/पंचायती संस्थाओं, निजी न्यासों, व्यक्तियों द्वारा अभ्यर्पित की गई भूमि भी हो सकती है। केवल इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिस संस्था या व्यक्ति ने भूमि अभ्यर्पित की है उसको उस भूमि को अभ्यर्पित करने का स्वामित्वाधिकार होना चाहिए। जिला प्राधिकारियों को यथाशीघ्र यह सुनिश्चित करना होगा कि स्थानीय भूमि का अभ्यर्पण कानूनों के अंतर्गत ही अभ्यर्पित/स्थानांतरित भूमि का अभ्यर्पण किया गया है। "अनापत्ति प्रमाण पत्र" के अनुसार भूमि अभ्यर्पण जैसी स्थानीय रूप से मान्यता प्राप्त प्रक्रियाओं को भी पर्याप्त समझा जा सकता है जब तक कि वह कानूनी रूप से वैध हो। तथा भूमि पर निर्मित परिसंपत्ति उस सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध होगी जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है।



Raj institutions or any other reputed non-governmental organisation who may be considered by the District Head as capable of implementing the works satisfactorily. Engagement of private contractors is prohibited, wherever extant Guidelines do not permit such engagement. For purposes of execution of works through Public Works Department (PWD), wings not necessarily exclusively dealing with civil construction, but having competence in civil construction can be engaged-like for example, Public Health Engineering, Rural Housing Departments/wings, Housing Boards, Electricity Boards, Urban Development Authorities etc. The Head of the District shall identify the agency through which a particular work recommended by the MP should be executed.

- 2.2 The works under the scheme shall be developmental in nature based on locally felt needs. The emphasis is on creation of durable assets. Funds provided under the scheme should not be used for incurring revenue expenditure. The funds can also be used for purposes such as provision of service support facilities. However, they will not include any recurring expenditure like on staff to maintain such facilities.
- 2.3 It will also be appropriate if the scheme funds are used for partly meeting the cost of a larger work like for example for partly meeting the cost of a micro-hydel work only in case it would result in completion of the works. Where such part costs are met under this para, it should be with reference to clearly identifiable part of the work.
- 2.4 Sometimes execution of work, by their very nature, may span into more than one year. In such circumstances, funds under the scheme could be made available to the executing agency either in advance or over more than one year, phasing of execution of work being clearly kept in view.
- 2.5 The site selected for execution of the work by the MP shall not be changed except with the concurrence of the MP himself.
- 2.6 It should not be insisted that the land selected for execution of works should necessarily be Government land. It can be land surrendered by Municipal/Panchayat bodies, private trusts, private individuals, etc. The only care that needs to be taken is that the institution or the person surrendering the land has the title over it to so surrender. The District authorities should ensure that within the quickest possible time, the surrendered/transferred land is relinquished under the local land relinquishment laws. Locally recognized practices such as surrender of lands as per "No objection certificates" may also be considered adequate so long as they are legally valid and the assets created on the land shall be available for public use for which they were created.

- 2.7 इस योजना के अन्तर्गत करारा जा सकने वाले कार्यों की दृष्टांत सूची परिशिष्ट-1 में दी गई है | इस योजना के अन्तर्गत जिन कार्यों को नहीं कराया जा सकता है, उसकी सूची परिशिष्ट-2 में दी गई है
- 2.8 इस योजना के अंतर्गत आने वाले किसी भी कार्य के लिए ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को किसी प्रकार का अग्रिम देना निषिद्ध है |
- 2.9 जिलाधीशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस योजना के अंतर्गत प्रारंभ किए जाने वाले निर्माण कार्यों के रूख-रूखाव और अनुरक्षण की व्यवस्था संबंधित स्थानीय निकाय अथवा संबद्ध अभिकरण से किया जा रहा है, जैसे कि सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान, पंजीकृत संगठन इत्यादि |

#### निर्माण कार्यों को स्वीकृति और निष्पादन:

- 3.1 निर्माण कार्यों को अभिज्ञापित करने और उनका चयन करने तथा उन्हें स्वीकृति देने के पहले जिलाधिकारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह संबंधित सांसद की सहमति प्राप्त करें | सामान्यतः सांसदों की सलाह अभिभावी होनी चाहिए, यदि निर्माण कार्यों को करवाए जाने के लिए कोई तकनीकी कारण जैसे चयनित भूमि का अनुकूल न होना आदि, बाधक न हो | जिन मामलों में जिलाधिकारी यह समझते हैं कि सांसद द्वारा सुझाया गया कार्य निष्पादित नहीं करवाया जा सकता है, उनके संबंध में उन्हें कारणों सहित एक व्यापक रिपोर्ट राज्य सरकार के संबंधित विभाग एवं सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार को सूचित करते हुए, संबद्ध सांसद को भेजना चाहिए |
- 3.2 जहां तक संभव हो, सभी निर्माण कार्यों को संबंधित संसद सदस्य से उनका प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर ही मंजूरी प्रदान की जानी चाहिए |
- 3.3 जहां तक तकनीकी एवं प्रशासनिक मंजूरीयों का संबंध है, इस संबंध में निर्णय जिला स्तर पर ही लिया जाना चाहिए | यदि आवश्यकता हो तो इस योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्ण एवं अंतिम निर्णय लेने की शक्तियां जिलों के तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्य निर्वाहकों को प्रत्यायोजित कर देनी चाहिए |
- 3.4 एक से अधिक जिलों में फैले लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के मामले में वह जिलाधिकारी जो भारत सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि को प्राप्त करते हैं, संसद सदस्य की इच्छानुसार अपेक्षित धनराशि अन्य संबंधित जिलों को भी उपलब्ध करवायेंगे ताकि अन्य जिलों के सांसदों द्वारा उनके जिले/जिलों में सुझाए गए निर्माण कार्यों को कार्यान्वित कर सकें |
- 3.5 चूंकि इस योजना के तहत निर्माण कार्यों का कार्यान्वयन लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास, सिंचाई, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, जल आपूर्ति और मलव्ययन बोर्ड, आवास निगम आदि जैसे राज्य सरकारों के विभिन्न अभिकरणों द्वारा किया जाएगा, अतः संबंधित जिलाधिकारी इस योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर निर्माण कार्यों के समन्वय और उनके समग्र पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे | उपर्युक्त कार्यान्वयन अभिकरण आरंभिक कार्यों, कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण आदि से संबंधित अपनी सेवाओं के लिए किसी तरह का प्रशासनिक स्वर्च, सेटेंज आदि नहीं लेंगे |

- 2.7 An illustrative list of works that may be taken up under the scheme is presented in Appendix 1. A list of works which shall not be allowed under the scheme is presented in Appendix 2.
- 2.8 Payment of advances of any type to the contractors/suppliers under any work falling within this scheme is prohibited.
- 2.9 The Heads of districts should ensure that provision for maintenance and upkeep of the works to be taken up under this Scheme is forthcoming from the concerned local body or the relevant agency, that is, Government-aided institution, registered society etc.

## **SANCTION AND EXECUTION OF WORKS**

- 3.1 In identifying and selecting works and giving administrative sanction for the same, the Head of the district should invariably get the concurrence of the Member of Parliament. Normally, the advice of the MP should prevail unless it be for technical reasons such as land selected for work not being suitable for execution etc. Where the Head of the district considers that a work suggested by an MP cannot be executed, he should send a comprehensive report with reasons to the MP under intimation to the Department of the State Government dealing with the subject and to the Department of Statistics and Programme Implementation, Ministry of Planning & Programme Implementation, Government of India.
- 3.2 As far as possible, all sanctions for works should be accorded within 45 days from the date of receipt of proposal from the concerned MP.
- 3.3 So far as technical and administrative sanctions are concerned, decision making should be only at the district level. If need be for the purpose of implementation of this scheme, full and final powers should be delegated to the District technical and administrative functionaries.
- 3.4 In case, a constituency fall in more than one district, the Head of the district who receives the money released by the Government of India shall make the required funds available to the other concerned district(s) in keeping with MP's choice so that the Head(s) of such other district(s) could implement the works suggested by the MP in his district(s).
- 3.5 Since the works under this scheme would be implemented by different State Government agencies such as PWD, Rural Development, Irrigation, Agriculture, Health, Education, Area Development Authorities, Water Supply and Sewerage Boards, Housing Corporation etc. the Heads of the respective districts would be responsible for the coordination and overall supervision of the works under this scheme at the district level. The implementing agencies may not collect any administrative charges, centage etc. for their services of preparatory work, implementation, supervision, etc.

- 3.6 इस योजना के लिए केन्द्र में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार की केंद्रक जिम्मेवारी होगी | राज्य सरकार के संबंधित विभाग जिला स्तर पर योजना और कार्यान्वयन से जुड़े सभी अभिकरणों को यह सामान्य निर्देश जारी करेंगे कि वे जिलाधिकारियों द्वारा इस योजना के तहत उन्हें अग्रोषित किए गए निर्माण कार्यों में सहयोग और सहायता प्रदान करें तथा उन्हें कार्यान्वित कराएं | ऐसे निर्देशों की प्रतियां संसद सदस्यों को भी निर्वाचन क्षेत्रों तथा दिल्ली में स्थित उनके पतों पर भेजी जाएं |
- 3.7 इस योजना के अंतर्गत की गई सभी कार्यवाहियों पर सामान्य वित्तीय और लेखा-परीक्षण संबंधी प्रक्रियाएं इन दिशा निर्देशों, सासकर पैरा 3.3 में निहित दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए लागू होंगी |
- 3.8 इस योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष का आर्बटन निर्वाचन क्षेत्र के लिए है | हालांकि किसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य बदल सकते हैं, चाहे ऐसे बदलाव के कारण कुछ भी हों, चूंकि आर्बटन निर्वाचन क्षेत्र के लिए होता है, इसलिए इस योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन कार्यों पर कार्यवाही निरंतर जारी रखनी चाहिए | जिलाधिकारी इस संबंध में पूर्व और वर्तमान संसद सदस्यों तथा संबंधित कार्यान्वयन अभिकरण के बीच समन्वय की भूमिका निभाएंगे |
- 3.9 जब कभी संसद सदस्य बदलेंगे, चाहे इसके कारण कुछ भी हों, कार्यों के क्रियान्वयन में यथासंभव निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए जाएंगे |
- यदि पूर्ववर्ती संसद द्वारा अभिज्ञापित कोई कार्य निर्माणाधीन है तो उसे पूरा किया जाएगा |
  - यदि पूर्ववर्ती संसद द्वारा अभिज्ञापित कोई कार्य सूचना प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों से अधिक बीत जाने पर भी प्रशासनिक कारणों से लीबत पड़ा हो तो उसे भी निष्पादित किया जाएगा, बशर्ते कि वह अन्यथा मानदंडों के अनुरूप हो |
  - यदि पूर्ववर्ती संसद किसी कार्य को अभिज्ञापित कर चुके हों परंतु इसके पहले इसके पहले कि उप-पैरा में उल्लिखित कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य कारणों से उसका निष्पादन शुरू नहीं किया गया हो तो उसे पूरा करवाया जा सकेगा, यदि उत्तरवर्ती संसद सदस्य उनका अनुमोदन करेंगे |
- 3.10 राज्य सभा के सदस्यों के संबंध में एक विशेष राज्य में पूर्ववर्ती संसद द्वारा छोड़ा गया अव्ययित शेष उस विशेष राज्य के उत्तरवर्ती राज्य सभा सदस्यों में बराबर-बराबर वितरित कर दिया जाएगा |

- 3.6 The Department of Statistics and Programme Implementation, Ministry of Planning & Programme Implementation, Government of India, would have the nodal responsibilities for this scheme at the Centre. The Department concerned of the State Government will issue general instructions to all the planning and implementing agencies at the district level to co-operate, assist and implement the works referred to them under this scheme by the Heads of the districts. Copies of such instructions shall also be sent to the MPs at their constituencies and at their Delhi addresses.
- 3.7 The normal financial and audit procedures would apply to all actions taken under this scheme subject to these Guidelines, especially Guidelines contained in para 3.3.
- 3.8 Allocation per year under the scheme is for the constituency. Though there may be change in the MP representing a constituency, whatever may be the reason for such change, the allocation being for the constituency, continuity of action in implementing works under the scheme should be maintained. The Head of the district should play a coordinating role in this regard between the past and the present MP and the implementing agencies concerned.
- 3.9 When there is a change in the MP, for whatever reason it may be, the following principles should be followed, as far as possible in executing works:
- If the work identified by the predecessor MP is under execution, it should be completed.
  - If the work identified by the predecessor MP is pending sanction due to administrative reasons beyond a period of 45 days from the date on which advice was received for taking up the work, it should also be executed provided the work is otherwise as per norms.
  - If the predecessor MP had identified the work, but it was not taken up for execution because of reasons other than those mentioned in the preceding sub-para, it can be executed subject to the confirmation of the successor MP.
- 3.10 In respect of Members of Rajya Sabha, the unspent balance left by the predecessor Members of Parliament in a particular State will be equally distributed amongst the successor Rajya Sabha Members in that particular State.



### धनराशि का अवमोचन

- 4.1 यद्यपि संसद सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे 10 लाख रुपये से अधिक की लागत वाले कार्यों का सुझाव नहीं देंगे तथापि, प्रति कार्य 10 लाख रुपये की लागत सीमा का बहुत सख्ती से अनुपालन किया जाने पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। किसी एक कार्य के लिए 10 लाख रुपये से अधिक की लागत राशि कार्य के स्वरूप को देखते हुए खर्च की जा सकती है। उदाहरण के लिए लघु सिंचाई योजना या जल आपूर्ति के लिए सिंगल चेक बांध अथवा खेलकूद स्टेडियम बनवाने में 10 लाख रुपये से अधिक की लागत आ सकती है। ऐसे निर्माण कार्यों में अधिक राशि खर्च की जा सकती है।
- 4.2 धनराशि हर वर्ष लेखानुदान/बजट पास होने के तुरंत बाद जिलों को अवमुक्त कर दी जाएगी। इस योजना के अधीन भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि व्यय नहीं होगी। यदि किसी एक वर्ष में अवमुक्त धनराशि का उपयोग नहीं होता है तो वह अगले वर्ष के लिए उपलब्ध रहेगी तथा प्रति निर्वाचन क्षेत्र प्रतिवर्ष दो करोड़ रुपये के आर्बटन में कोई कमी नहीं की जाएगी। तथापि, निधियों का अवमोचन किए गए वास्तविक व्यय और कार्य निष्पादन की प्रगति को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। दूसरे शब्दों में बजट में प्रत्येक संसद सदस्य के लिए प्रतिवर्ष दो करोड़ रुपये तक की निधियां उपलब्ध रहेंगी तथा निधियों के अभाव में निर्माण कार्य प्रभावित नहीं होंगे। इसके साथ निधियों का अवमोचन प्रगति के अनुसार किया जायेगा। इसका अर्थ यह है कि किसी भी समय एक वर्ष की अवधि में जितनी धनराशि का व्यय अपेक्षित हो सकता है उससे अत्यधिक राशि सरकारी खजाने से बाहर पड़ी न रहे। उदाहरण के लिए यदि किसी एक वर्ष में किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए आवंटित दो करोड़ रुपये में से केवल 1.50 लाख रुपये खर्च होते हैं तो बाकी 50 लाख रुपये अगले वर्ष के लिए माने जाएंगे और तब उस वर्ष के दो करोड़ रुपये के आर्बटन समेत 2.5 करोड़ रुपये यह राशि अगले वर्ष की हकदारी हो जाएगी और वह खर्च की जा सकती है। परन्तु निधियों का वास्तविक अवमोचन खर्च के लिए अपेक्षित राशि को देखते हुए ही किया जायेगा। तथापि, यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि बकाया अधिशेष राशि बहुत बड़ी हकदारी के रूप में इकट्ठी न हो जाए।
- 4.3 निर्माणाधीन कार्यों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति तथा निर्माण कार्यों के लिए धनराशि की आगामी आवश्यकता के आधार पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा निधियां वर्ष में चार बार जारी की जाएंगी।
- 4.4 निधियां जारी करते समय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय संबंधित जिलाधिकारियों से परामर्श करके निर्माणाधीन कार्यों को पूरा करने के लिए अपेक्षित धनराशि का आकलन करेगा। धनराशि की ऐसी आवश्यकता पहले पूरी की जायेगी और तब नये निर्माण कार्यों के लिए बाकी आर्बटन पर विचार किया जायेगा। संसद के लिए 50 लाख रु. की किस्त सभी स्वीकृत कार्यों की लागत को ध्यान में रखते हुए शेष राशि 50 लाख रु. से कम होने पर जारी की जाएगी। किस्त जारी करने के लिए संसद की योग्यता संबंधित जिलाध्यक्षों द्वारा परिशिष्ट क्रमशः 3 और 4 पर रखे गए प्रपत्र में प्रेषित सूचना के आधार पर निर्धारित की जाएगी, जिसकी प्रतियां जिलाध्यक्षों द्वारा संबंधित सांसदों को भी भेजी जाएंगी।

## RELEASE OF FUNDS

- 4.1 Ideally it would be desirable that the MPs suggest individual works costing not more than Rs.10 lakhs per work. However, the limit of Rs.10 lakhs per work should not be too rigidly construed. Amounts higher than Rs.10 lakhs per work can be spent depending upon the nature of the work. (For example a single check dam to provide minor irrigation or water supply or a sports stadium may cost more than Rs.10 lakhs. In the case of such works higher amount can be legitimately spent).
- 4.2 Funds shall be released to the Districts each year immediately after the Vote on Account/Budget is passed. The funds released by the Govt. of India under the scheme would be non-lapsable. Funds released in a particular year, if they remain unutilised can be carried forward to the subsequent year without detracting from the allocation of rupees two crores per year per constituency. However, release of funds will be made with reference to the actual progress achieved in expenditure and execution of works. In other words, funds would be available in the budget to the extent of rupees two crores per year per MP and works will not suffer for want of provisions. At the same time releases will be regulated according to progress. The idea is that at any given time no excessive money should remain outside the Government treasury than is reasonably expected to be spent within a year. For example, if out of Rs.2 crore allotted for a constituency in a year, Rs.150 lakhs are spent, the balance of Rs.50 lakhs can be carried over for the year when this amount together with fresh allocation of Rs.2 crore (total of Rs.2.5 crore) would be the entitlement of the year and could be spent. But actual physical release of funds will be with reference to the amount expected to be spent. It should be seen, however, that unspent amounts do not excessively snowball into huge entitlements.
- 4.3 The release of funds by the Department of Statistics and Programme Implementation, Ministry of Planning & Programme Implementation will be done four times a year on the basis of the physical and financial progress of the works under implementation and further requirement of funds for works.
- 4.4 At the time of release of funds, the Department of Statistics and Programme Implementation, Ministry of Planning & Programme Implementation in consultation with the Heads of the concerned Districts will make an assessment of the funds required to complete the on-going works. Such requirements of funds will be met first and then only the balance allocation will be considered for new works. Instalment of Rs.50 lakhs in respect of an MP would be released once the balance amount, after taking into account the cost of all the works sanctioned (unsanctioned balance), comes to less than Rs.50 lakhs. The eligibility for the release of an instalment in respect of an MP will be decided on the basis of information furnished by the concerned District Heads in the format placed at Appendix-3 and 4 respectively, copies of which will also be sent by the District Heads to the concerned MPs.

- 4-5 किसी एक कार्य के लिए निधियों को तत्परता के साथ जारी किया जाना चाहिए | निर्माणाधीन कार्यों की लागत का 75 प्रतिशत पहली किस्त के रूप में और बकाया 25 प्रतिशत कार्य की प्रगति को देखकर जारी किया जाएगा | जहाँ तक संभव हो कार्य-स्थल से सबसे नजदीक उपलब्ध प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जैसे कि प्रखण्ड विकास अधिकारी के द्वारा निधियाँ अवमुक्त की जानी चाहिए | इसका प्रयोजन यह है कि निधियों का अवमोचन भी कार्यस्थल पर पहले से उपलब्ध विकेंद्रित प्रशासनिक तंत्र के जरिए किया जाए तथा वह कार्यान्वित करने वाला अभिकरण उन विकेंद्रित प्राधिकारों से शीघ्रातिशीघ्र संपर्क करने की स्थिति में हो |
- 4-6 यदि संबंधित सांसद निधियों का उपयोग करने में रुचि नहीं रखते हैं तो उसे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को लिखना चाहिए ताकि निधियों का निर्गम वापस लिया जा सके |
- 4-7 योजना के अंतर्गत जारी निधियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा किया जाएगा |
- 4-8 राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा निधियों पर अर्जित व्याज को दिशा निर्देशों के अधीन अनुमोदित कार्यों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है |

#### प्रबोधन व्यवस्था

- 5-1 इस योजना के अन्तर्गत शुरू किये जाने वाले निर्माण कार्यों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन क्षेत्रीय निरीक्षण के द्वारा वास्तविक प्रबोधन तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के साथ समन्वयन बनाये रखने के लिए एक केंद्रक विभाग को नामित करेंगे | जिलाधीश को दौरा कर इन कार्यों का कम से कम 10 प्रतिशत निरीक्षण करना चाहिए तथा इसी प्रकार इन निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन अभिकरणों के वरिष्ठ अधिकारियों को भी यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे नियमित रूप से इन निर्माण कार्य स्थलों का दौरा करें तथा यह सुनिश्चित करें कि निर्माण कार्यों में निधारित प्रक्रियाओं एवं विशिष्टियों के अनुसार संतोषजनक प्रगति हो रही है | इसी तरह उप-क्षेत्रीय तथा खण्ड स्तर पर जिले के अधिकारियों को निर्माण कार्य के स्थलों का दौरा करके इन कार्यों के कार्यान्वयन का भी निकट प्रबोधन करना चाहिए | जिलाधीश को चाहिए कि वे ऐसे निरीक्षणों तथा प्रबोधन में, जहाँ तक संभव हो, संसद सदस्यों को भी शामिल करें | उन्हें संसद सदस्यों और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, भारत सरकार को 2 महीने में एक बार उपर्युक्त प्रबोधन की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी चाहिए | सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा एक निरीक्षण सूची तैयार की जानी चाहिए जिसमें निष्पादन अभिकरणों के प्रत्येक पर्यवेक्षण स्तरीय कर्मचारी के लिए क्षेत्रीय निरीक्षणों का कम से कम संख्या निर्धारित हो |
- 5-2 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय कार्यान्वयनाधीन निर्माण कार्यों की एक पूर्ण एवं नवीनतम स्थिति की जानकारी हमेशा रखेगा |

- 4.5 Funds for individual works should be promptly released. 75% of the cost of the works can be released in the first instalment itself, the balance of 25% being released watching progress. To the maximum extent possible, release of funds should be arranged through the administrative authority available nearest to the work spot, like for example a Block Development Officer. The objective should be that release of funds also is made through decentralised administrative mechanisms already available on the ground and that implementing agencies have the quickest feasible access to such decentralised authorities.
- 4.6 In case the concerned MP is not interested in utilising the funds, he may write to the Department of Statistics and Programme Implementation, Ministry of Planning & Programme Implementation so that the release of funds is withdrawn.
- 4.7 Funds released under the scheme shall be deposited in nationalized banks.
- 4.8 Interest accrued on the funds deposited in nationalized banks may be used for the works approved under these guidelines.

## MONITORING ARRANGEMENTS

- 5.1 For effective implementation of the works taken up under this scheme, each State Government/UT Administration shall designate one nodal Department for physical monitoring through field inspection and for coordination with the Department of Statistics and Programme Implementation, Ministry of Planning & Programme Implementation, Government of India. The Heads of Districts shall visit and inspect at least 10% of these works every year. Similarly, it should be the responsibility of the senior officers of implementing agencies of these works to regularly visit the work spots and ensure that the works are progressing satisfactorily as per the prescribed procedures and specifications. Likewise, officers of district at the sub-divisional and block level shall also closely monitor implementation of these works through visits to work sites. The Head of the District should also involve the MPs in such inspections and monitoring to the maximum extent feasible. They should also furnish monitoring reports once in two months to the MPs and the Department of Statistics and Programme Implementation. A schedule of inspections which prescribes the minimum number of field visits for each supervisory level functionary of the implementing agencies may be drawn up by the Department of Statistics and Programme Implementation.
- 5.2 The Department of Statistics and Programme Implementation, Ministry of Planning & Programme Implementation would always have with it a complete and updated picture of the works under implementation.

- 5.3 इस योजना से संबंधित प्रबोधन प्रपत्र तथा अन्य मुद्दे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा योजना के दृष्टि के अंतर्गत समय-समय पर तय किए जाएंगे |
- 5.4 जिलाधीशों को चाहिए कि वे इस योजना के अन्तर्गत कार्यों की प्रगति के संबंध में सूचना इंटरनेट के द्वारा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को भी दें | इस रिपोर्ट की प्रतियां सांसदों को भी भेजी जाएंगी | सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग इंटरनेट पर रिपोर्ट देने के लिए अपेक्षित साफ्टवेयर उपलब्ध करवाएगा | इससे निर्वाचन क्षेत्र वार योजना की प्रगति के तत्काल प्रबोधन की सुविधा भी हो जाएगी |
- 5.5 योजना के अन्तर्गत चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति का आकलन करने हेतु मुख्य सचिव या उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव द्वारा जिलाध्यक्षों और संसद सदस्यों को शामिल करते हुए वर्ष में कम से कम एक बैठक का आयोजन किया जाना चाहिए |
- 5.6 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय «इगनो» और भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन «इसरो» में उपलब्ध ढांचागत सुविधाओं और विशेषज्ञों का लाभ उठाते हुए दूरभाष कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जा सकती है | सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित ऐसी कॉन्फ्रेंस में जिलों के प्रधान तथा अन्य स्थानीय अधिकारियों से तत्काल सम्पर्क किया जा सकेगा जिससे कि शिकाओं को दूर करने तथा अवरोधों को हटाने में मदद मिलेगी |
- 5.7 इस योजना के कार्यान्वयन में निरंतर सुधार लाने के लिए, संसदीय अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो, समूहों में सांसदों एवं जिलाधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकता है | जिससे संसद सदस्यों को शामिल कर उनसे संवाद भी स्थापित किया जा सकेगा |

#### सामान्य

- 6.1 स्थानीय लोगों को यह सूचित करने के लिए कि कार्य विशेष संसद सदस्य द्वारा स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निधियों से करवाया गया है, "संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का निर्माण कार्य" सांसद के नाम के साथ लिखा हुआ सूचना फलक कार्य स्थल पर लगवाया जाए |
- 6.2 निर्माण कार्यों के निष्पादन के दौरान संसद सदस्यों को किसी ऐसी समस्या/स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जिसकी संभावना एवं उल्लेख इन दिशा निर्देशों में नहीं है | समुचित स्पष्टीकरण के लिए ऐसे मामले सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के साथ उठाए जा सकते हैं |



- 5.3 Monitoring formats and other issues of details relevant to this scheme would be decided by the Department of Statistics and Programme Implementation, Ministry of Planning & Programme Implementation from time to time within the framework of the scheme.
- 5.4 The Districts Heads should also communicate information on the progress of works under the scheme on the Internet to the Department of Statistics and Programme Implementation, Ministry of Planning & Programme Implementation. Copies of such reports shall also be forwarded to the MPs. Software required for reporting on the Internet will be furnished by the Department of Statistics and Programme Implementation. This will also facilitate instantaneous monitoring of the progress of the scheme constituency-wise.
- 5.5 The Chief Secretary or in his absence a Senior Principal Secretary/Additional Chief Secretary should conduct a meeting involving the Heads of Districts and MPs to assess the progress of works under the scheme at least once in a year.
- 5.6 Periodic teleconferences may also be organised, availing of the infrastructure and expertise available with the Indira Gandhi National Open University (IGNOU) and the Indian Space Research Organisation (ISRO). In these conferences to be organised by the Department of Statistics and Programme Implementation, Ministry of Planning & Programme Implementation, instantaneous contact could be established with the Heads of districts and other local functionaries to clarify doubts and remove bottlenecks. MPs also should be associated with such conferences.
- 5.7 In order to bring about continuous improvement in the implementation of the scheme, the Bureau for Parliamentary Studies and Training (BPST) may arrange training of MPs and district officials in batches, involving, and bringing about interaction with MPs.

## GENERAL

- 6.1 In order that local people become aware that particular works have been executed with MPLADS funds, signboards carrying the inscription "MPLADS WORK" with the name of MP may be prominently erected at the sites.
- 6.2 In execution of works, MPs may face special problems/situations not envisaged and covered under these guidelines. Such cases may be taken up with the Department of Statistics and Programme Implementation, Ministry of Planning & Programme Implementation for suitable clarification.

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत करार जा सकने वाले कार्यों की दृष्टि सूची

1. विद्यालयों, छात्रावासों, पुस्तकालयों के लिए भवनों और शिक्षण संस्थाओं के अन्य भवनों का निर्माण जो अथवा स्थानीय निकायों के अधीन हों | ऐसे भवन यदि सहायता प्राप्त संस्थाओं तथा गैर सहायक परंतु मान्यता प्राप्त संस्थाओं के भी हों तो उनका निर्माण कराया जा सकता है बशर्ते संस्थान दो कार्य कर रहे हैं |
2. गांवों, कस्बों अथवा नगरों में लोगों को पेयजल उपलब्ध करवाने के वास्ते नलकूपों और पानी की टंकि निर्माण अथवा ऐसे अन्य निर्माण कार्यों का निष्पादन जो इस दृष्टि से सहायक हों |
3. गांवों और कस्बों तथा नगरों में सड़कों का निर्माण जिसमें पार्ट-सड़कें, संपर्क, लिंक सड़कें आदि भी शा अत्यंत चुनिंदा रूप से कच्चे मार्गों का भी निर्माण करवाया जा सकता है जहां स्थानीय लोगों द्वारा मह जा रही जरूरतों को पूरा करने के लिए सम्बद्ध संसद सदस्य और जिला प्रधान सहमत हों |
4. उपर्युक्त सड़कों और अन्यत्र टूटी सड़कों अथवा नलकूपों की नहरों पर पुलियों/पुलों का निर्माण |
5. वृद्धों अथवा विकलांगों के लिए सामान्य आश्रय गृहों का निर्माण |
6. मान्यता प्राप्त जिला या राज्य स्तर के खेलकूल संघों की सांस्कृतिक तथा खेलकूल संबंधी गतिविधियों अस्पतालों के लिए स्थानीय निकायों के भवनों का निर्माण | व्यायाम केन्द्रों, खेल-कूल संघों, शारीरिक प्रशिक्षण संस्थानों आदि में मल्टीजिम फैसिलिटीज उपलब्ध कराने की भी अनुमति है |
7. सरकारी तथा सामुदायिक भूमियों अथवा अन्य प्रदत्त भूखण्डों पर सामाजिक चानिकी, फर्म व बागवानी, चारागाहों, पार्कों एवं उद्यानों की व्यवस्था |
8. गांवों कस्बों और शहरों में तालाबों की सफाई करवाना |
9. सार्वजनिक सिंचाई और सार्वजनिक जल विकास सुविधाओं का निर्माण |
10. सामुदायिक उपयोग एवं सम्बद्ध गतिविधियों के लिए गोबर गैस संयंत्रों, गैर परम्परागत ऊर्जा प्रणालियों, उपयोगों का निर्माण |
11. सिंचाई तटबंधों अथवा लिफ्ट सिंचाई अथवा वाटर टेबल रीचार्जिंग सुविधाओं का निर्माण |
12. सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय का निर्माण |

## APPENDIX-1

### **ILLUSTRATIVE LIST OF WORKS THAT CAN BE TAKEN UP UNDER MPLADS**

1. Construction of buildings for schools, hostels, libraries and other buildings of educational institutions belonging to Government or local bodies. Such buildings belonging to aided institutions and unaided but recognised institutions can also be constructed provided, however, that the institution be in existence for not less than two years.
2. Construction of tube-wells and water tanks for providing water to the people in villages, towns or cities, or execution of other works, which may help in this respect.
3. Construction of roads including part roads, approach roads, link roads etc. in villages and towns and cities. Very selectively kutchha roads can also be constructed where the MP concerned and the District Head agree to meet the locally felt need.
4. Construction of culverts/bridges on the roads of above description and of open cut or tube wells.
5. Construction of common shelters for the old or handicapped.
6. Construction of buildings for local bodies for recognised District or State Sports Associations and for cultural and sports activities or for hospitals. Provision of multi-gym facilities in gymnastic centres, sports associations, physical education training institutions etc. is also permissible.
7. Special forestry, farm forestry, horticulture, pastures, parks and gardens in Government and community lands or other surrendered lands.
8. Desilting of ponds in villages, towns and cities.
9. Construction of public irrigation and public drainage facilities.
10. Construction of common gohar gas plants, non-conventional energy systems/devices for community use and related activities.
11. Construction of irrigation embankments, or lift irrigation or water table recharging facilities.
12. Construction of public libraries and reading rooms.

14. ए एन एम आवासीय मकानों के साथ-साथ परिवार कल्याण उपकेंद्रों सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी भवनों का निर्माण | सहायता प्राप्त संस्थाओं के ऐसे भवनों का भी निर्माण किया जा सकता है |
15. शवदाह/शमशान भूमि पर शवदाह गृहों और टाचों का निर्माण |
16. सार्वजनिक शौचालयों और स्नान-गृहों का निर्माण |
17. नाले और गटरों का निर्माण |
18. पैदल पथ, पगडीडियो और पैदल पुलों का निर्माण |
19. शहरों, कस्बों तथा गांवों की गंदी वस्ती वाले क्षेत्रों में और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजात के निवास क्षेत्रों में बिजली, पानी, पगडीडियो, सार्वजनिक शौचालयों आदि जैसी नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था | गंदी वस्ती क्षेत्रों में तथा कारीगरों हेतु सामान्य कार्यशाला शोडों का प्रावधान |
20. आदिवासी क्षेत्रों में आवासीय विद्यालयों का निर्माण |
21. सार्वजनिक परिवहन यात्रियों के लिए बस पड़ाव/शोडों का निर्माण |
22. पशुचिकित्सा सहायता केंद्रों, कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों और प्रजनन केंद्रों का निर्माण |
23. सरकारी अस्पतालों के लिए एक्स-रे मशीन, रेम्बुलेंस जैसी सुविधाओं और अस्पताल उपकरणों की सरीद करना तथा सरकार/पंचायती राज संस्थानों द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में चलते-फिरते दवाखानों की व्यवस्था करना | रेम्बुलेंस की सुविधायें, रेडक्रास, रामकृष्ण मिशन आदि जैसी प्रतिष्ठित सेवा संस्थाओं को प्रदान की जा सकती है |
24. इलेक्ट्रॉनिक्स परियोजनाएं :-
  1. हाई स्कूल/कॉलेज की शिक्षण परियोजना में कंप्यूटर |
  2. सूचना फुटपाथ |
  3. उच्च विद्यालयों में डेम क्लब |
  4. सिटीजन बेंड रेडियो |
  5. ग्रंथ सूची डाटा बेस परियोजना |
25. कर्मचारी रहित रेलवे क्वार्टरिंग पर लैबल क्वार्टरिंग का निर्माण |

13. Construction of creches and anganwadis.
14. Construction of public health care buildings, including family welfare sub-centres together with the ANM residential quarters. Such buildings belonging to aided institutions also can be constructed.
15. Construction of crematoriums and structures on burial/cremation grounds.
16. Construction of public toilets and bathrooms.
17. Construction of drains and gutters.
18. Construction of footpaths, pathways and footbridges.
19. Provision of civic amenities like electricity, water, pathways, public toilets etc. in slum areas of cities, town and villages and in SC/ST habitations, provision of common work-sheds in slums and for artisans.
20. Construction of residential schools in tribal areas.
21. Construction of bus-sheds/stops for public transport passengers.
22. Construction of veterinary aid centres, artificial insemination centres and breeding centres.
23. Procurement of hospital equipment like X-Ray machines, ambulances for Government Hospitals and setting up of mobile dispensaries in rural areas by Government Panchayati Institutions. Ambulances can be provided to reputed service organisations like Red Cross, Ramakrishna Mission etc.
24. Electronic Projects:
  - i) Computer in education project of High school/College
  - ii) Information footpath
  - iii) Ham Club in high schools
  - iv) Citizen band radio
  - v) Bibliographic data-base projects.
25. Construction of Level Crossing at unmanned Railway crossing.



संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत न करार जा सकने वाले कार्यों की सूची |

1. केंद्रीय अथवा राज्य सरकारों के विभागों, अभिकरणों या संगठनों से संबंधित कार्यालय भवन, आवासीय गृहों अथवा अन्य भवनों का निर्माण |
2. वाणिज्यिक संगठनों, न्यासों, पंजीकृत सोसाइटियों, निजी संस्थानों अथवा सहकारी संस्थानों से संबंधित कार्य |
3. किसी भी टिकाऊ परिसंपत्ति के संरक्षण/उन्नयन के लिए विशेष मरम्मत कार्य को छोड़कर किसी भी प्रकार के मरम्मत एवं अनुरक्षण संबंधी कार्य |
4. अनुदान और ऋण |
5. स्मारक या स्मारक भवन |
6. किसी भी प्रकार की वस्तु/सामान की लारीद अथवा भण्डार |
7. भूमि के अधिग्रहण अथवा अधिगृहीत भूमि के लिए कोई भी मुआवजा राशि |
8. व्यक्तिगत लाभ के लिए परिसंपत्ति, उन परिसंपत्तियों को छोड़कर, जो अनुमोदित योजनाओं के भाग हैं |
9. धार्मिक-पूजा स्थल |

**LIST OF WORKS NOT PERMISSIBLE UNDER MPLADS**

1. Office buildings, residential buildings, and other buildings relating to Central or State Governments, Departments, Agencies or Organisations.
2. Works belonging to commercial organisations, trusts, registered societies, private institutions or co-operative institutions.
3. Repair and maintenance works of any type other than special repairs for restoration/up-gradation of any durable asset.
4. Grant and loans.
5. Memorials or memorial buildings.
6. Purchase of inventory or stock of any type.
7. Acquisition of land or any compensation for land acquired.
8. Assets for all individual benefit, except those which are part of approved schemes.
9. Places for religious worship.

लोकसभा के संसद सदस्यों को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के अंतर्गत निधियों के अवमोचन के प्रयोजन हेतु प्रारूप

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत व्यय का विवरण दिनांक..... तक

राज्य का नाम																				
निर्वाचन क्षेत्र का नाम																				
सांसद का नाम																				
10वीं लोकसभा																				
11वीं लोकसभा																				
12वीं लोकसभा																				
13वीं लोकसभा																				
केंद्रक जिले का नाम																				
पता																				
फोन नं. एसटीडी कोड के साथ		ई-मेल																		
फैक्स																				
1	निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्राप्त कुल निधियां क. भारत सरकार से प्राप्त निधियां	<table border="1"> <tr> <th>वर्ष</th> <th>प्राप्त निधियां रु. लाखों में</th> </tr> <tr><td>1993-94</td><td></td></tr> <tr><td>1994-95</td><td></td></tr> <tr><td>1995-96</td><td></td></tr> <tr><td>1996-97</td><td></td></tr> <tr><td>1997-98</td><td></td></tr> <tr><td>1998-99</td><td></td></tr> <tr><td>1999-2000</td><td></td></tr> <tr><td>कुल</td><td></td></tr> </table>	वर्ष	प्राप्त निधियां रु. लाखों में	1993-94		1994-95		1995-96		1996-97		1997-98		1998-99		1999-2000		कुल	
वर्ष	प्राप्त निधियां रु. लाखों में																			
1993-94																				
1994-95																				
1995-96																				
1996-97																				
1997-98																				
1998-99																				
1999-2000																				
कुल																				
	ख. निधियां पर अर्जित व्याज की कुल राशि																			
	ग. कुल क+ख	कार्यों की सं. अनुमानित लागत																		
2	अनुमोदित कार्यों की लागत एवं कुल सं. क. 10वीं लोकसभा के सांसद द्वारा ख. 11वीं लोकसभा के सांसद द्वारा ग. 12वीं लोकसभा के सांसद द्वारा घ. 13वीं लोकसभा के सांसद द्वारा ड. कुल क+ख+ग+घ																			
3	निम्न की अनुशंसा पर स्वीकृत कार्यों की लागत एवं सं. क. 10वीं लोकसभा के सांसद ख. 11वीं लोकसभा के सांसद ग. 12वीं लोकसभा के सांसद घ. 13वीं लोकसभा के सांसद ड. कुल क+ख+ग+घ	कार्यों की सं. स्वीकृत राशि																		
4	निर्वाचन क्षेत्र के उपलब्ध कुल अस्वीकृत शेष 1 ग-3 ड-2																			
5	निर्वाचन क्षेत्र में पूरे किए गए कार्यों की कुल संख्या																			
6	शुरू किए गए पर अधूरे कार्यों की कुल संख्या																			
7	कुल वास्तविक व्यय																			

जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त के हस्ताक्षर

दिनांक:

प्रतिलिपि: श्री/श्रीमती.....संसद सदस्य।

नोट: 1. 50 लाख रुपए की अगली देय क्षति तभी जारी की जाएगी जब कॉलम 4 में दी गई राशि 50 लाख रुपए से कम होगी।

2. केंद्रक जिला कलेक्टर को एक समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है जिसमें उन जिलों की सूचना हो जो कि निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं जहां सांसद की अनुशंसा पर निधियां स्थानांतरित की गई।

3. स्वीकृत राशि उन योजनाओं की लागत है जिनके लिए वित्तीय स्वीकृति पहले ही जारी की जा चुकी है उन योजनाओं की लागत जिन्हें सिर्फ प्रशासनिक अनुमोदन वित्तीय अनुमोदन नहीं मिला है को कॉलम सं. 3 में स्वीकृत नहीं दिखाया जाना चाहिए।

**FORMAT FOR THE PURPOSE OF RELEASE OF FUNDS UNDER MEMBER OF  
PARLIAMENT LOCAL AREA DEVELOPMENT SCHEME (MPLADS)  
FOR LOK SABHA MPs**

STATEMENT OF EXPENDITURE UNDER MPLADS (UP TO DATE: )

NAME OF THE STATE:			
NAME OF THE CONSTITUENCY:			
NAME OF THE MP:			
10 <sup>th</sup> LS:			
11 <sup>th</sup> LS:			
12 <sup>th</sup> LS:			
13 <sup>th</sup> LS:			
NAME OF THE NODAL DISTRICT:			
ADDRESS:			
PHONE NO. WITH STD CODE:			
FAX:		e-mail:	
1	Total funds received for the constituency:		FUNDS RECEIVED
	(a) Funds received from the Govt. of India	YEAR	(Rs. In Lakhs)
		1993-94	
		1994-95	
		1995-96	
		1996-97	
		1997-98	
		1998-99	
		1999-2000	
		TOTAL	
	(b) Total amount of interest accrued on the funds		
	(c) TOTAL (a+b)		
2	Total No. and cost of works recommended:	No. of works	Estimated cost
	(a) By the 10 <sup>th</sup> LS MP		
	(b) By the 11 <sup>th</sup> LS MP		
	(c) By the 12 <sup>th</sup> LS MP		
	(d) By the 13 <sup>th</sup> LS MP		
	(e) TOTAL (a+b+c+d)		
3	No. and cost of works sanctioned on recommendations of:	No. of works	Amount sanctioned
	(a) The 10 <sup>th</sup> LS MP		
	(b) The 11 <sup>th</sup> LS MP		
	(c) The 12 <sup>th</sup> LS MP		
	(d) The 13 <sup>th</sup> LS MP		
	(e) TOTAL (a+b+c+d)		
4	Total unsanctioned balance available with the constituency 1(c)-3(e)		
5	Total No. of works completed in the constituency		
6	Total No. of works started but not completed		
7	Total actual expenditure		

Date: \_\_\_\_\_ Signature of the Distt. Collector/Distt. Magistrate/Dy. Commissioner

Copy to:

Shri/Smt. \_\_\_\_\_  
Member of Parliament

Note: (i) The next due installment of Rs. 50 lakhs is released only when the amount in respect of column No. 4 is reported as less than Rs. 50 lakhs.  
(ii) The Nodal District Collector is required to furnish a consolidated report including the information pertaining to other Districts falling in the constituency where funds were transferred on recommendation of the MP.  
(iii) Sanctioned amount is the cost of such schemes only for which financial sanctions have already been issued. Cost of schemes which have got only administrative approval (and not financial sanction) should not be reported as sanctioned in column No. 3.

राज्य सभा के संसद सदस्यों को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना §समपीलेइस§ के अंतर्गत निधियों के अवमोचन के प्रयोजन हेतु प्राप्त

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत व्यय का विवरण § दिनांक .....तक§

राज्य का नाम:	
राज्यसभा सांसद का नाम:	
केन्द्रक जिले का नाम:	
पता:	
फोन नं. एस.टी.डी कोड के साथ:	
फैक्स:	ई-मेल

1	रा.स. सांसद के लिए प्राप्त कुल निधि	वर्ष	प्राप्त निधियाँ ₹ लाख रु. में
	§क§ भारत सरकार से प्राप्त निधियाँ	1993-94	
		1994-95	
		1995-96	
		1996-97	
		1997-98	
		1998-99	
		1999-2000	
		योग	
	§ख§ निधियों पर अर्जित व्याज की कुल राशि		
	§ग§ योग §क+ख§		
2	अनुमोदित कुल कार्यों की संख्या तथा लागत	कार्यों की संख्या	अनुमानित लागत
3	स्वीकृत कुल कार्यों की संख्या तथा लागत	कार्यों की सं.	स्वीकृत धनराशि
4	सांसद के संबंध में उपलब्ध कुल स्वीकृत राशि-1 §ग§-3		
5	सांसद के संबंध में पूरे किए गए कार्यों की कुल संख्या		
6	शुरू किए गए पर अधूरे कार्यों की कुल संख्या		
7	कुल वास्तविक व्यय		

दिनांक: जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त के हस्ताक्षर

प्रतिलिपि: श्री/श्रीमती.....संसद सदस्य |

नोट: §1§ 50 लाख रु. की अगली देय क्षति तभी जारी की जाएगी जब कालम 4 में दी गई राशि 50 लाख रुपए से कम होगी |

§2§ केन्द्रक जिला कलेक्टर को एक समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है जिसमें उन जिलों की सूचना भी हो जो कि निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं जहाँ सांसद की अनुशांसा पर निधियाँ स्थानांतरित की गई |

§3§ स्वीकृत राशि उन योजनाओं की लागत है जिनके लिए वित्तीय स्वीकृति पहले ही जारी की जा चुकी है उन योजनाओं की लागत जिन्हें सिर्फ प्रशासनिक अनुमोदन §वित्तीय अनुमोदन नहीं§ मिला है को कॉलम सं. 3 में स्वीकृत नहीं दिखाया जाना चाहिए |



**FORMAT FOR THE PURPOSE OF RELEASE OF FUNDS UNDER MEMBER OF  
PARLIAMENT LOCAL AREA DEVELOPMENT SCHEME (MPLADS)  
FOR RAJYA SABHA MPs**

STATEMENT OF EXPENDITURE UNDER MPLADS (UP TO DATE:

NAME OF THE STATE:
NAME OF THE RS MP:
NAME OF THE NODAL DISTRICT:
ADDRESS:
PHONE NO. WITH STD CODE:
FAX: e-mail

1	Total funds received for the RS MP		FUNDS RECEIVED (Rs. In Lakhs)
	(a) Funds received from the Govt. of India	YEAR	
		1993-94	
		1994-95	
		1995-96	
		1996-97	
		1997-98	
		1998-99	
		1999-2000	
		TOTAL	
	(b) Total amount of interest accrued on the funds		
	(c) TOTAL (a+b)		
2	Total No. and cost of works recommended	No. of works	Estimated cost
3	Total No. and cost of works sanctioned	No. of works	Amount sanctioned
4	Total unsanctioned balance available in respect of the MP 1(c)-3		
5	Total No. of works completed in respect of the MP		
6	Total No. of works started but not completed		
7	Total actual expenditure		

Date:

Signature of the Distt. Collector/Distt. Magistrate/Dy. Commissioner

Copy to:

Shri/Smt. \_\_\_\_\_  
Member of Parliament

Note: (i) The next due installment of Rs. 50 lakhs is released only when the amount in respect of column No. 4 is reported as less than Rs. 50 lakhs.

(ii) The Nodal District Collector is required to furnish a consolidated report including the information pertaining to other Districts falling in the constituency where funds were transferred on recommendation of the MP.

(iii) Sanctioned amount is the cost of such schemes only for which financial sanctions have already been issued. Cost of schemes which have got only administrative approval (and not financial sanction) should not be reported as sanctioned in column No. 3.



नागपुर में राज्य परिवहन पिक-अप शेड का निर्माण।  
Construction of State Transport Pick-up Shed at Nagpur.



बंगलूर (ग्रामीण) में आरी हल्ली से गुड्डाडहल्ली तक सड़क  
पर तारकोल का बिछाया जाना।  
Asphalting of Road from Arehally to Guddadahally in Bangalore Rural.





शिलांग में कब्रिस्तान का निर्माण।  
Construction of Grave Yard at Shillong.



उच्च विद्यालय भवन, कनाशवाड़ी में निर्मित कमरे।  
High School building rooms constructed at Kanaswadi.





महाराष्ट्र के आपतुर तहसील उमरेद में सामुदायिक प्रेक्षागृह।  
Community Hall at Aptur tehsil Umred, Maharashtra.



दियु में निर्मित बाल भवन।  
Bal Bhawan constructed at Diu.





अहमदाबाद में शल्यकर्मोपरांत गहन चिकित्सा कक्ष।  
Post Operative Intensive Care Unit at Ahmedabad.



कोडामुंडी पर उत्थित उपसेतु का निर्माण।  
Construction of Raised Causeway on Kodamundi.